



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 491 राँची, शुक्रवार,

9 अक्टूबर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

अधिसूचना

24 अगस्त, 2020

संख्या- 5/आरोप-1-248/2014-9124 (HRMS)-- श्री गोपाल कृष्ण कुँवर, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला-साहेबगंज), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फसल बीमा राशि का भुगतान करने, गोंदलपुरा पैक्स चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता बरतने, सरकारी राशि का दुर्विनियोग एवं गबन करते हुए सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाने संबंधी आरोपों हेतु इनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-41/13, दिनांक 02.11.2013 में दिनांक 19.01.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय आदेश सं0-1251, दिनांक-08.02.2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत कारा निरुद्ध की तिथि 19.01.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया ।

2. हिरासत से मुक्त होने के पश्चात श्री कुँवर द्वारा दिनांक-21.04.2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है।

3. पुनः विभागीय आदेश सं0-6203, दिनांक 15.05.2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री कुँवर का योगदान स्वीकृत करते हुए उक्त नियमावली के नियम-9(1)(ग) के तहत पुनः योगदान स्वीकृति की तिथि 21.04.2017

से निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया।

4. मामले के समीक्षोपरांत, श्री गोपाल कृष्ण कुँवर, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला-साहेबगंज), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

5. श्री कुँवर के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरुद्ध विचाराधीन निगरानी थाना कांड सं0-41/13, दिनांक 02.11.2013 में पारित अंतिम न्यायादेश के फलाफल के आधार पर किया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority
1	2	3
1	GOPAL KRISAN KUWAR (20080400120)	श्री गोपाल कृष्ण कुँवर, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला-साहेबगंज), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
